(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 79–दो/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–10–2004– पारित – व्दारा – आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 56/1998–99 अपील

श्रीमती शॉता पत्नि स्व0 रामदास महाजन
ग्राम विनेगा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर ---आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन --अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 2–5 – 2016 को पारित)

आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 56/1998–99 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–10–2004 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पेश की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक विजयपुर ने अपर कलेक्टर श्योपुर को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम विनेगा स्थित भूमि सर्वे कमांक 73 मिन–2 रकबा 0.941 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 74/1 रकबा 3.135 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि लिखा गया है) खसरे में राजकुअर पत्नि कुन्नेलाल महाजन निवासी बनेगा के नाम भूदान भूमिस्वामी अंकित है , जिनका दिनांक 4–7–95 को स्वर्गवास हो चुका है । भूमिस्वामी राजकुमारी ने अपने जीवनकाल में शांता पत्नि रामदास महाजन के हित में बसीयत संपादिते की है। यह ग्राम विनेगा की

न तो निवासी है और न ही कृषि श्रमिक की परिभाषा में है तथा मौके पर भूमि पर काविज भी नहीं है।

राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन पर अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 52/94-95 पंजीबद्ध किया तथा दिनांक 20-3-95 को आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ ने आवेदक को श्रवण कर आदेश दिनांक 28-6-95 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि का भूदान पटटा निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त व्दारा प्रकरण कमांक 56/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-10-2004 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ बोर्ड व्दारा वादग्रस्त भूमि का पटटा 31-12-1979 को जारी किया था, किन्तु राजस्व निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि पटटाग्रहीता राजकुवर पत्नि कुन्ने ग्राम विनेगा की न तो निवासी है और न ही कृषि श्रमिक की परिभाषा में है तथा मौके पर भूमि पर काविज भी नहीं है । आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि आवेदक को वादग्रस्त भूमि का पटटा प्राप्त करने की पात्रता है तभी जांच कर पटटा दिया गया है। इस संबंध मे अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 28-6-95 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश केपद 3 में विवेचित किया है कि आवेदक के परिवार के नाम पूर्व से 11.706 हैक्टर

भूमि है अर्थात आवेदक कृषि श्रमिक अथवा भूमिहीन नहीं थी। इस प्रकार पाया गया है कि आवेदक व्दारा राजस्व अधिकारियों को कपट करके स्वयं् को कृषि श्रमिक एंव भूमिहीन बताकर गलत आधारों पर पटटा प्राप्त किया है। इस वावत् अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 28-6-95 में एंव आयुक्त, चम्बल संभाग के आदेश दिनांक 8-10-2004 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 56/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-10-2004 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर